



न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 244 / 17-18

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

एतवा धान उर्फ एतवा मुन्डा - विक्रेता

मेघनाथ बड़ाईक - क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर										
16.02.18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक एतवा धान उर्फ एतवा मुन्डा पिता स्व० रतन धान ग्राम मासमानो, थाना कर्रा, जिला खूँटी, जाति मुन्डा ने मेघनाथ बड़ाईक पिता स्व० जगत बड़ाईक ग्राम लरता, थाना कर्रा, जिला खूँटी, जाति बड़ाईक के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="327 705 1444 795"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मासमानो</td> <td>97</td> <td>42</td> <td>366</td> <td>0.26</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र खतियान एवं लगान की रसीद सं० 14914901 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 92 दिनांक 16.02.18 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम सोमरा मुन्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार सोमरा मुन्डा वगैरह के नाम कुल रकबा 15.42 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 15.42 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 15200.00 (पंद्रह हजार दो सौ)रु० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 15.16 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण एतवा धान उर्फ एतवा मुन्डा पिता स्व० रतन धान को मेघनाथ बड़ाईक पिता स्व० जगत बड़ाईक के साथ ग्राम मासमानो के खाता सं० 42 खेसरा संख्या 366 का रकबा 0.26 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 15200.00 (पंद्रह हजार दो सौ)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी। </p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी। </p> <p>अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	मासमानो	97	42	366	0.26
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)							
मासमानो	97	42	366	0.26							